चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई ।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में थाना राजापुर पुलिस टीम ने सोलर प्लांट से कॉपर वायर चोरी करने वाले 05 आरोपी अभियुक्तों को चोरी के 02 बोरो में अलग अलग सोलर कॉपर वायर, 01 अदद वायर/मैटल कटर,01अदद करण्ट चैक करने वाला मीटर, 03 अदद बिजली मीटर,01 अदद कटर लोहे, 01 अदद आरी,01 अदद रिंच व घटना में प्रयुक्त महिन्द्रा पिकअप व मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तो का नाम पता का विवरण-

1.कमलचन्द्र वर्मा उर्फ अंगूरे पुत्र फूलचन्द्र वर्मा निवासी खपटिहा थाना खीरी जनपद प्रयागराज।

2.मो0 हुसैन उर्फ विष्णु पुत्र मुनब्बर अली निवासी मिश्रापुर NTPC थाना शंकरगढ जनपद प्रयागराज।

3.धर्मेन्द्र आदिवासी पुत्र कन्हैयालाल आदिवासी निवासी टौंगा पोसेला थाना खीरी जनपद प्रयागराज।

4.विनोद कुमार मौर्य उर्फ मंगा पुत्र रामलाल निवासी ग्राम डिहार थाना खीरी जनपद प्रयागराज।

5.कुंज बिहारी साहू पुत्र स्व0 कृष्ण चन्द्र साहू निवासी खपटिहा थाना खीरी जनपद प्रयागराज हाल निवासी मार्केट चौकी व कस्बा नारीबारी थाना शंकरगढ जनपद प्रयागराज।

अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास का विवरण-

अभियुक्त कमलचन्द्र वर्मा उर्फ अंगूरे उपरोक्त-

1.मु0अ0सं0 214/22 धारा 380,411,457 भादवि0 थाना शंकरगढ़ प्रयागराज।

अभियुक्त विनोद कुमार मौर्य उर्फ मंगा

1.मु0अ0सं0 26/25 धारा 115(2),351(2),352 बीएनएस थाना खीरी प्रयागराज।

अभियुक्त कुंज बिहारी उपरोक्त

1.मु0अ0सं0 242/2009 थाना खीरी प्रयागराज।

2.मु0अ0सं0 200/2024 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना खीरी प्रयागराज।

बरामदगी-

1. 02 बोरो में चोरी के सोलर कॉपर वायर
2. 01 अदद वायर/मैटल कटर
3. 01अदद करण्ट चैक करने वाला मीटर
4. 03 अदद बिजली मीटर
5. 01 अदद कटर लोहे
6. 01 अदद आरी
7. 01 अदद रिंच
8. घटना में प्रयुक्त 01 अदद महिन्द्रा पिकअप व 01 अदद मोटरसाइकिल

गिरफ्तारी का स्थान/दिनाँक-

छीबो नहर पुलिया सडक के किनारे/15.12.2025

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 12.12.2025 को वादी दीप सिंह राजपूत पुत्र नैन सिंह राजपूत निवासी रतवाडा थाना डोलरिया जनपद नर्मदापुरम मध्य प्रदेश द्वारा थाना राजापुर पर सूचना दी गयी कि अडानी सोलर एनर्जी चित्रकूट वन लिमिटेड ग्राम छीबो थाना राजापुर में प्लांट हेड वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर वह कार्यरत है, दिनांक 11.12.25 को प्लांट से नहर साइड जो 25 मेगावाट की वहाँ ब्लाक नम्बर एक में वायर कटी है जिसकी सूचना गार्ड 08.30 बजे दी गई कि अज्ञात लोग लगभग 200 मीटर कॉपर

तार काट ले गये है। इससे पूर्व भी चोरी की वारदाते प्लांट में हो चुकी है। इस सूचना पर थाना राजापुर मु0अ0सं0 290/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रभारी निरीक्षक राजापुर को घटना का शीघ्र अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
दिनाँक 15.12.2025 को थाना राजापुर पुलिस टीम को मुखबिर खास के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि छीबो नहर पुलिया सडक के किनारे कुछ लोग पिकअप व मोटर साइकिल से खडे है जो किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे है तथा बोरे में कुछ संदिग्ध सामान सड़क किनारे से लाद रहे है यदि जल्दी की जाये तो पकडे जा सकते है। पुलिस टीम द्वारा बताये स्थान पर पहुँचकर पिकअप के बाहर खड़े 05 व्यक्तियों को एक बारगी दबिश देकर घेरघार कर पकड लिया। पकडे गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम कमलचन्द्र वर्मा उर्फ अंगूरे पुत्र फूलचन्द्र वर्मा निवासी खपटिहा थाना खीरी जनपद प्रयागराज बताया जिसकी जामा तलाशी से 01 अदद करण्ट चैक करने वाला मीटर बरामद हुआ। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम मो0 हुसैन उर्फ विष्णु पुत्र मुनब्बर अली निवासी मिश्रापुर NTPC थाना शंकरगढ जनपद प्रयागराज बताया जिसकी जामा तलाशी से 01 अदद नीले रंग का मैटर/वायर कटर बरामद हुआ तथा तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम धर्मेन्द्र आदिवासी पुत्र कन्हैयालाल आदिवासी निवासी टौंगा पोसेला थाना खीरी जनपद प्रयागराज,चौथे व्यक्ति ने अपना नाम विनोद कुमार मौर्य उर्फ मंगा पुत्र रामलाल निवासी ग्राम डिहार थाना खीरी जनपद प्रयागराज तथा पाँचवे व्यक्ति ने अपना नाम कुंज बिहारी साहू पुत्र स्व0 कृष्ण चन्द्र साहू निवासी खपटिहा थाना खीरी जनपद प्रयागराज हाल निवासी मार्केट चौकी व कस्बा नारीबारी थाना शंकरगढ जनपद प्रयागराज बताया तथा पास खडी महिन्द्रा पिकअप नं0 UP70LT0557 को चैक किया गया तो उसके पीछे डाले में एक सफेद बोरे में एक बण्डल कॉपर वायर जिस पर सोलर केबिल तथा दूसरे जूट के बोरे में एक बण्डल कॉपर वायर सोलर केबिल तथा 01 अदद बडा कटर लोहे का व एक आरी व एक रिंच व तीन अदद बिजली के मीटर GENUS कम्पनी बरामद हुये पकडे गये पाँचो व्यक्तियो से पिकअप से बरामद कापर वायर व तार काटने के उपकरण व बिजली के मीटर के बारें में कड़ाई से पूछा गया तो पाँचो व्यक्तियों ने एक स्वर में बताया कि ग्राम छीबो स्थित सोलर प्लाट से हम सभी लोग कई बार आकर तार काटकर चोरी करते रहे है पिछले दो बार हम लोग मोटर साइकिल से आकर तार काटकर झाडियों में छिपाकर चले गये थे दिनांक 11.12.2025 की रात्रि में भी हम लोगो ने छीबो के पास स्थित सोलर प्लाट से सोलर प्लाट का तार काटा था तथा उसको भी इन्ही झाडियों में छिपा गये थे तथा बिजली के नये मीटर हम लोग अपने पास इसलिए रखते है कि कोई अगर चैकिंग करें तो हम लोगो पर शक न हो और बिजली मिस्त्री कहकर बच जाते थे आज हम लोगो ने पहले से काटे गये सोलर पैनल के तार को पिकअप में लाद लिया था तथा सोलर प्लाट से सोलर पैनल व सोलर तार काटने की योजना बना रहे थे। मुकदमा उपरोक्त में चोरी गये तार बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। पकडे गये व्यक्तियों से पिकअप नं0 UP70LT0557 के बारे में पूछा गया तो अभियुक्त कुंजबिहारी ने बताया कि साहब यह पिकअप मेरी है जो मेरी पत्नी के नाम से है तथा पास खडी मो0सा0 HF डीलक्स रंग काला नं0 UP70HR1478 के बारे में पूछा गया तो अभियुक्त मो0 हुसैन उर्फ विष्णु ने बताया कि यह मोटर साइकिल मेरे दोस्त है। पकडे गये व्यक्तियों से पिकअप व मो0सा0 के कागजात तलब किये गये तो कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं करा सके कि पिकअप व मो0सा0 को अन्तर्गत धारा 207 MV Act में सीज किया गया। दौराने बरामदगी वादी मुकदमा को फोन वार्तालाप कर माल बरामदगी के सम्बन्ध में बताया तो उनके सिक्योरिटी इंचार्ज विनोद कुमार मौके पर आये। जिन्होने बोरो में रखे तार को देखकर बताया कि यह वही तार है जो सोलर प्लॉट से अलग-अलग दिनांक में चोरी किये गये थे।
गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-
1.उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार सिंह
2.का0 लवकुश यादव
3.का0 राहुल यादव

4.का0 विमलेश कुमार

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में चौकी सीतापुर पुलिस टीम ने चाय की दुकान में चोरी करने वाले आरोपी अभियुक्त को चोरी के 06 पैकेट राजश्री बडा पाउच वाली,09 पैकेट राजश्री मीडियम पाउच ,08 पैकेट तम्बाकू पुडिया, 07 पैकेट तम्बाकू पुडिया, 08 डिब्बी सिरगरेट (गोल्ड फ्लैक इन्डी मिन्ट), 09 डिब्बी सिगरेट(गोल्ड फ्लैक प्रीमियम) के साथ गिरफ्तार किया।
अभियुक्त का नामपता का विवरण-
नीलकमल जोगी पुत्र बाबू निवासी कालिका मन्दिर के सामने जोगी मोहल्ला सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी।
बरामदगी-
(1). 06 पैकेट राजश्री बडा पाउच वाली
(2). 09 पैकेट राजश्री मीडियम पाउच
(3). 08 पैकेट तम्बाकू पुडिया
(4). 07 पैकेट तम्बाकू पुडिया
(5). 08 डिब्बी सिरगरेट (गोल्ड फ्लैक इन्डी मिन्ट)
(6). 09 डिब्बी सिगरेट(गोल्ड फ्लैक प्रीमियम)
संक्षिप्त विवरण-
दिनाँक 14.12.2025 को वादिया कलावती पत्नी रामकिशोर सोनकर राघवपुरी रामयण मेला सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी द्वारा कोतवाली कर्वी पर सूचना दी कि उनकी रामायण मेला मन्दिर के बगल के पास एक छोटी सी चाय पानी, गुटखा सिगरेट की दुकान है। दिनांक 12/12/25 को रात करीब रात्रि में दुकान खोखा बन्द करके घर चली गयी थी। सुबह दुकान पर आयी और ताला खोला तो अन्दर देखा तो मेरी दुकान से 30 पूडा राजश्री बडा पाउच वाली,30 पूडा राजश्री छोटा पाउच वाली,26 पूडा राजश्री छोटा पाउच 5 रू वाली,5 पूडा कमलापसन्,20 पैकेट सिगरेट गोल्ड फ्लैक,15 डिब्बी सिगरेट कैप्टन,20 किलो एन्डीमिन्ट /30 डब्बी मोमेन्ट तथा गोलक से 500 रू गायब थे मुझे विश्वास है की चोरी नीलकमल जोगी पुत्र बाबू निवासी कालिका मन्दिर के सामने जोगी मोहल्ला सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी द्वारा की गई है। इस सूचना पर कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 745/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।
आज दिनाँक 15.14.2025 को चौकी प्रभारी सीतापुर व उनकी टीम ने एक बारगी दबिश वान तालाब शिवरामपुर रोड से अभियुक्त नील कमल जोगी पुत्र बाबू जोगी निवासी कालका मंदिर के सामने जोगी मोहल्ला सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। पूंछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 12.12.25 की रात में रामायण मेला गेट के पास से कलावती सोनकर के खोखा से गुटखा सिगरेट चोरी किया था वही आज चलते फिरते लोगो को बेचने जा रहा था जमातलाशी से अभियुक्त के कब्जे से एक झोला में (1). 06 पैकेट राजश्री बडा पाउच वाली जिसके प्रत्यके पैकेट में 330/- तथा राज श्री (K.D.) लिखा है. (2). 09 पैकेट राजश्री मीडियम पाउच वाली जिसके प्रत्येक पैकेट में 270/-रु० तथा राजश्री CKP लिखा है। (3). 08 पैकेट तम्बाकू पुडिया प्रत्येक पैकेट में डबल ब्लैक 18 लिखा है, (4) 07 पैकेट तम्बाकू पुडिया (5) 08 डिब्बी सिरगरेट प्रत्येक डिब्बी मे गोल्ड फ्लैक इन्डी मिन्ट लिखा है। (6) 09 डिब्बी सिगरेट प्रत्येक डिब्बी मे गोल्ड फ्लैक प्रीमियम लिखा है। प्रत्येक सिगरेट डिब्बी गोल्ड फ्लैक इन्डी मिन्ट में 100/- रु० व गोल्ड फ्लैक प्रीमियम में 95/-10 लिखा है, बरामद हुये। कडाई से पूंछताछ करने पर बताया कि मैंने कुछ गुटखा के पैकेट व सिगरेट कल चलते फिरते लोगों को सस्ते दामों में बेच दिया था पैसे खर्च हो गये है शेष बचा सामान आज बेचने जा रहा था। माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1. चौकी प्रभारी सीतापुर श्री यदुवीर सिंह
2. आरक्षी रविशंकर यादव
3. आरक्षी नागेश कुमार

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में चौकी प्रभारी सीतापुर व उनकी टीम ने घर से सामान लेने गए बालक के वापिस लौटकर न आने की सूचना पर अथक प्रयास कर सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया।

➡️ आज दिनांक 14/12/2025 को आवेदिका सुलेखा पत्नी नन्नू जोशी नि0 रामायण मेला राघव पूरी सीतापुर के द्वारा चौकी पर सूचना दी गई की उनका पुत्र अनुज जोशी पुत्र नन्नू जोशी उम्र लगभग 15 वर्ष पर्यटक तिराहा दुकान पर गया था और घर वापस नहीं आया। सूचना पर अल्प समय में 01 घंटे के अंदर अनुज जोशी को बेड़ी पुलिया से बरामद कर आवेदिका श्रीमती सुलेखा देवी को सुपुर्द किया गया।

बरामदगी/सुपुर्दगी करने वाली टीम का नाम-

1.चौकी प्रभारी सीतापुर श्री यदुवीर सिंह
2.आरक्षी अनुज यादव
3.आरक्षी रवि शंकर यादव

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री उपेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अतीन्द्र सिंह थाना भरतकूप व आरक्षी अखिलेश तोमर द्वारा अ0स0 46/2021 धारा 323/504/506 भादवि0 शिववरन पुत्र स्व0 सुन्ना निवासी भैंसोधा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।